



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276641
CG-DL-E-30092026-276641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5003]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5003]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5209(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.३३६(अ) तारीख २१/०१/२०२६ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६१ जी के कि.मी. ५५+००० से कि.मी. ११८+००० (शेगाव- एम पी बोर्डर रोड) (डिजाईन लम्बाई=६३.००० कि.मी.) तक के भूखंड में निर्माण (चौड़ाकरण/पेव्ह शोल्डर सहित २-लेन का बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३ क की उपधारा (३) के अधीन का.आ.३३६ (अ) तारीख २१/०१/२०२६ में “दैनिक प्रतापगडचे वारे” तारीख १२/०२/२०२६ और “विदर्भ मतदार” तारीख “११/०२/२०२६” में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६१ जी के कि.मी. ५५+००० से कि.मी. ११८+००० (शेगाव- एम पी बोर्डर रोड) (डिजाईन लम्बाई=६३.००० कि.मी.) खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: बुलढाणा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: संग्रामपुर					
गांव का नाम: वरवट खंडेराव					
1	११९	निजी	कृषि	0.05	शुभम विठ्ठल गाळकर 119
2	१२०	निजी	कृषि	0.05	मनोहर मोतीराम गाळकर 120
3	१३१	निजी	कृषि	0.03	निशांत विजय गाळकर 131
4	१३१	निजी	कृषि	0.02	शे. निजामोद्दीन शे. कमरोद्दीन 131
5	१३२	निजी	कृषि	0.05	विजय शालीग्राम गाळकर 132
कुल योग				0.2	

[फा. सं. RW/NH-12014/121/2024-MAH/ZONE-IV/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5209(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number **S.O. 336(E) dated 21/01/2026** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building (widening and upgradation 2 lane etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 161G from section connecting Shegaon to MP Border Road in the stretch of land Km 55+000 to Km 118+000 (Design length=63.000 Km) in the district of Buldhana in the state of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O. 336(E) dated 21/01/2026**, has been published in “**Dainik Pratapgadche Vare**” Dated **12/02/2026** and “**Vidarbha Matdar**” Dated **11/02/2026**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling National Highway No. 161G within the stretch of land from section connecting Shegaon to MP Border Road Km 55+000 to Km 118+000 (Design length=63.000 Km) in the district of Buldhana in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: BULDHANA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sangrampur					
Village: Warwat Khanderao					
1	119	Private	Agriculture	0.05	Shubham Vitthal Galkar 119
2	120	Private	Agriculture	0.05	Manohar Motiram Galkar 120
3	131	Private	Agriculture	0.03	Nishant Vijay Galkar 131
4	131	Private	Agriculture	0.02	She. Nijamoddin She. Kamaroddin 131

5	132	Private	Agriculture	0.05	Vijay Shaligram Galkar 132
Total				0.2	

[F. No. RW/NH-12014/121/2024-MAH/ZONE-IV/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director